POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.12.2025

1. थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 मोबाईल फोन, एक स्कार्पियो गाडी बिना नम्बर प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा दिनांक **06.12.2025** को अभियुक्तगण 1. हिमांशु भाटी पुत्र रविन्द्र भाटी 2. बॉबी भाटी पुत्र स्व कुबेर सिंह 3. अकुंश भाटी उर्फ राजा पुत्र बॉबी भाटी 4. चिराग ठाकुर पुत्र पदम सिंह 5. पदम सिंह पुत्र विजयपाल सिंह को शिवा ढाबा के सामने यमुना एक्सप्रेस वे से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- मुकदमा वादी के द्वारा अपनी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्तगण 1.हिमांशु पुत्र रविन्द्र 2.दीपक उर्फ कल्ली पुत्र जय प्रकाश 3.वंश त्यागी पुत्र नरेश त्यागी के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28.09.2025 को थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 216/25 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध मे पूर्व मे ही अभियुक्तगण 1. रविंद्र भाटी पुत्र कुबेर सिंह 2. दीपक उर्फ कल्ली पुत्र जय प्रकाश 3. सौरभ पुत्र मुख्तियार सिंह 4. श्रीमती ब्रजेश पत्नी पदम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 6.12.2025 को अपृहता को सकुशल बरामद कर 05 वांछित अभियुक्तों 1. हिमांशु भाटी पुत्र रविन्द्र भाटी 2. बॉबी भाटी पुत्र स्व कुबेर सिंह 3. अकुंश भाटी उर्फ राजा पुत्र बॉबी भाटी 4. चिराग ठाकुर पुत्र पदम सिंह 5. पदम सिंह पुत्र विजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पीडिता/अपहर्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हिमांशु से प्यार करती हूँ, दिनांक 27.09.2025 को मैं हिमांशु के साथ चली गयी थी तब मैं नाबालिग थी। इसके बाद दिनांक 17.11.2025 को इलाहाबाद में एक मन्दिर में सौरभ, बॉबी भाटी, पदम सिंह, अंकुश, चिराग के सामने हिमांशु और मैनें एक दूसरे के माला डालकर शादी कर ली थी। तत्पश्चात कोर्ट मैरिज करने के लिये हम लोग वकील के पास गये तो हिमांशु की उम्र 21 वर्ष पूरी नही हुयी थी इसलिये वकील द्वारा हमारी कोर्ट मैरिज कराने को मना कर दिया था। इसके बाद सौरभ, बॉबी भाटी, पदम सिंह, अंकुश और हिमांशु ने मुझसे कहा कि तुम अभी कानूनन चिराग से शादी कर लो और रहना हिमांशु के साथ ही। इन लोगो के सामने दिनांक 27.11.2025 को आर्य समाज मन्दिर गाजियाबाद में मैने चिराग के साथ शादी कर ली थी और फिर दिनांक 04.12.2025 को मैने और चिराग ने गाजियाबाद कोर्ट में शादी कर ली थी। इसके पश्चात हिमांशु से पूछताछ की गयी तो उसने पीडिता की बात का समर्थन करते हुए बताया कि मैं और युवती एक दूसरे से प्यार करते है लेकिन मेरी उम्र कम होने के कारण हम दोनों की शादी कोर्ट में नही हो

सकी थी। इसके बाद सौरभ, बॉबी भाटी, पदम सिंह, अंकुश और चिराग के कहने पर कानूनी रूप से पीडिता और चिराग की शादी कोर्ट में करा दी थी लेकिन पीडिता मेरे साथ ही मेरी बुआ ब्रजेश ठाकुर और फूफा पदम सिंह के यहां गाजियाबाद रह रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. हिमांशु भाटी पुत्र रविन्द्र भाटी निवासी गाँव म्याना थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 18 वर्ष

2. बॉबी भाटी पुत्र स्व कुबेर सिंह निवासी गाँव म्याना थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 42 वर्ष

3. अकुंश भाटी उर्फ राजा पुत्र बॉबी भाटी निवासी गाँव म्याना थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष

4. चिराग ठाकुर पुत्र पदम सिंह निवासी बी 1/17 एफ 1 डी एल एफ कालोनी दिलशाद एक्सटेन्शन 2 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबद उम्र करीब 21 वर्ष

5. पदम सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी बी 1/17 एफ 1 डी एल एफ कालोनी दिलशाद एक्सटेन्शन 2 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबद उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 216/2025 धारा 137(2),61(2),87,142,64 बीएनएस व 5/6/16/17 पॉक्सो एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना मे प्रयुक्त 04 मोबाईल फोन, एक सीजशुदा स्कार्पियो गाडी बिना नम्बर प्लेट

2. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये विभिन्न कम्पनी के 13 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.12.2025** को **थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस** द्वारा अभियुक्त 1. रिजवान अली पुत्र निजामुद्दीन 2. मनोज कान्ति पुत्र यशोधर कान्ति को रैन बसैरा सेक्टर-48 नोएडा से चोरी के 13 मोबाइल फोन के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त मनोज कान्ति उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं भंगेल मे रहता हूँ।मैं भीड भाड वाली जगह जैसे लेबर चौक मार्केट इत्यादि जगहों से मौका मिलते ही लोगो से मोबाइल चोरी कर लेता हूँ। मैं चोरी किए हुए मोबाइलो को अपने साथी दुकानदार रिजवान अली को बेच देता हूँ। आज भी मैं रिजवान को चोरी के मोबाइल देने के लिये आया था। अभियुक्त रिजवान अली ने बताया कि मेरी मोबाइल की दुकान है। मैं पुराने व नये मोबाइल बेचता हूँ। मैं मनोज कान्ति से चोरी के मोबाइल सस्ते दामो मे खरीद लेता हूँ और फिर मैं उनको ग्राहको को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रिजवान अली पुत्र निजामुद्दीन निवासी गोरखनाथ पचपेडवा गोरखनाथ मंदिर के सामने थाना गौरखनाथ जिला गोरखपुर हाल निवासी किराये का मकान ग्राम गेझा थाना फेस-2 ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 38 वर्ष
2. मनोज कान्ति पुत्र यशोधर कान्ति निवासी पिल्लर नं0 119 के सामने वाली गली मेन दादरी रोड किराये का मकान ग्राम भंगेल थाना फेस-2 ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

विभिन्न कम्पनी के 13 मोबाईल फोन चोरी किये गये

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 371/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-49 नोएडा